कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) चूरू

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद हेतु भर्ती परीक्षा 2013 में आरक्षित सूची से चयनित निम्न अभ्यर्थियों को श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102/शा0शि0ग्रेड.III/सी.भ./2013-16 दिनांक 13.04.2017 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा दिनांक 26.04.17 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर पृष्ठांकित सूची में अंकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के अनुसार पी.बी.-2 (9300-34800) ग्रेड पे 3600 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगें -

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 10/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष हैं, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई हैं, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थियों से 10/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
5. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई. (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते हैं, उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेगें। यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, तो उन्हें कार्यग्रहण नहीं कराया जावें तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें।
6. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित एवं प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुवा हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के

पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजावाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।

8. धौलपुर/भरतपुर जिले का जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(19) कार्मिक /क-2/ 2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनां 10.08.2015 से जाट समुदाय को राज्य अन्य पिछडा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं होने संबंधी दिशा निर्देशों के यदि धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग के किसी अभ्यर्थी, जो अन्य पिछडा वर्ग के चयन वर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित हैं एवं नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए है, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें।
9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल, आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
10. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एतद्विषयक प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय/ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए की गई है।
11. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।
12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
13. कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबद्धता (Undertakingh) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 08.05.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः की निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

(महावीर सिंह पूनियां)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, चूरू
दिनांक 26.04.2017

क्रमांक : जिशिअ/मा/चूरू/संस्था-3/फा.नियु.शा.शि./सीधी भर्ती-13/2017

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. श्रीमान् उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू।
8. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू।
9. सम्बन्धित संस्थाप्रधान .... ।
10. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
11. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

जिला शिक्षा अधिकारी 26-4-17
माध्यमिक, चूरू

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) चूरू

क्रमांक : जिशिअ/मा/चूरू/संस्था–3/फा.नियु.शा.शि./सीधी भर्ती–13/2016 दिनांक 26.04.2017

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती 2013 में आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापन हेतु काउंसलिंग में विकल्प के आधार पर पदस्थापन सूची

आदेश संख्या – 01

क.स.	वरीयता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	वर्ग	स्थाई पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	6	5	7	8	9
1	R-763	KAVITA CHOUDHARY	KALU RAM	BC,WE	वार्ड नं. 03 गांव–नुकेरा, तह. संगरिया, हनुमानगढ़	24-02-93	OBCF	रामावि बायला
2	R-768	KOUSHALYA KAJALA	JAMAN LAL KAJALA	BC,WE	पत्नी राकेश कुमार खीचड़, ग्राम पो. गोकुलपुरा, वाया–सांवली, सीकर	01-02-85	OBCF	राबाउमावि सालासर
3	R-78	SANDEEP KUMAR	MANGE RAM	GE	गांव – ढाबी खुर्द, पो. जाण्डवाला बांगड़, तह. व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)	15-06-89	GENM	रामावि झाड़सर छोटा
4	R-85	MANOJ KUMAR	PURANMAL SHARMA	GE	ग्राम पो. हेतमसर, वाया नुआं, झुंझुनूं	18-04-86	GENM	राउमावि पीथीसर
5	R-87	RAKESH KUMAR	SANWAR MAL	GE	ग्राम पो. अजाड़ीकलां वाया–बड़ागांव, झुंझुनूं	19-08-85	GENM	रामावि खुडेरा बड़ा
6	R-92	PAWAN KUMAR	SAMSHER SINGH	GE	गांव–टिकाणकलां, पो. ढाणी फोगाट, तह. चरखी दादरी, जिला–भिवानी, हरियाणा	16-06-86	GENM	रामावि जसवन्तपुरा
7	R-945	VIKASH SHANKHALA	BHAGIRATH SHANKHALA	SC	मु.पो. बोराज, वाया–फुलेरा, तह. दूदू, जयपुर	15-12-88	SCM	राउमावि बाघसरा आथुणा
8	R-1162	HARKESH MEENA	SHRWAN LAL MEENA	ST	ग्राम कोठीन, पो. बैजुवाड़ा, तह. बसवा, दौसा	02-07-82	STM	रामावि ढिंगारिया
9	R-1166	NARSI LAL MEENA	MOHAN LAL MEENA	ST	ग्रा.पो. जमवारामगढ़, जयपुर	15-02-84	STM	रामावि बाढ़सर
10	R-1167	MUKESH KUMAR MEENA	JANSHI RAM MEENA	ST	ग्राम–पीलवा, पो. चदंवाजी वाया मनोहरपुर, तह. आमेर, जयपुर	15-12-91	STM	रामावि मगरासर
11	R-1169	CHHOTU RAM MEENA	DHANNA LAL MEENA	ST	मकान नं. 78, झरवाला हाउस, जामडोली, आगरा रोड़, जयपुर	01-01-77	STM	रामावि धातरी

26-4-17

(महावीर सिंह पूनियां)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, चूरू